

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल जिक्षा विभाग
मंत्रालय
इल्लम भवन भोपाल - 462004

फॉर्मान संख्या - 73-22/2008/20-3

भोपाल, दिनांक 30-6-2014

प्रति,

हस्ताक्षर


डेन्ड्रीय माध्यमिक जिक्षा संडल,
पुरी दिवार, नई दिल्ली।


विषय:- अशान्तीय हत्या - जावर - आरबैल - संकल - बाइपास -
- - कोड गोडीपुरा - गोचीनगर औपाल वो तो.डॉ. स्ट. ई / अई.सी.एस.
वो तो.डॉ. स्ट. ई / अई.सी.एस. नई दिल्ली ते तम्बादता हेतु
अनादर्ति इमार पर देने थाएँ।

=====

राज्य शान्ति राजा अशान्तीय हत्या जावर आरबैल संकल बाइपास
- - - कोड - गोडीपुरा - गोचीनगर औपाल वो तो.डॉ. स्ट. ई / अई.सी.एस.
नई दिल्ली ते तम्बादता हेतु अनादर्ति इमार पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया
जाता है:-

1. इदेह में शिष्य की जो क्षतियाँ स्थापित हो दुही है, उनका ताप्र इदेह
के छात्रों एवं नाइट्रोफिक जिक्षा संडल को फिल नहें हो हेतु क्षति इसे
कार्यकारिषी में प्रू. माध्यमिक जिक्षा संडल के प्रतिरक्षित/अधिकारी
वो नामांकित किया जाये।
2. दिग्निन उक्सरों पर छात्रों के जापोजित होने वाले तांत्रिक इस
खेल्लूद वार्षिक तथा अन्य साक्ष-शिष्यों वी गतिविधियों के लिये खेल वा
मैदान छात्राचाल वन्न तृक्षिय आदि आक्रमणकार्यानुत्तर उपलब्ध छरायेगे।
इस हेतु क्षति ते इचन पत्र लिखाया जाए।
3. इस क्षतियाँ के तावालन में उन्निश्चितता वी जिक्षायत इमार होने पर
दिग्निन राजा इमार अधिकारी वो क्षति वा निरीधिय/जांच झरने
वा अवैधकार होगा।


PRINCIPAL
FR. AGNEL CO-ED.SR. SEC. SCHOOL
BHOPAL



MANAGER
Fr. Agnel Co-ed Sr. Sec. School
By Pass Road, Gondi Pura,
BHOPAL - 462030

निरन्तर.. 2 पर

- ४ केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल दा अन्य दोई ते नम्बद्धता मिलने के उपरांत भी २५. राज्य शासन व लोक शिक्षण तंयात्तात्य टारा तम्य-तम्य पर शिक्षा के प्रबंध सवं विभाग के तंबंध में जारी निर्देशों का दालन करने का व्यवस्था ते प्राप्त लिया जायेगा ।
- ५ तंदा की प्रबंध कार्यक्रमी तमिति में म.प्र. शास्त्र, तकूल शिक्षा विभाग दा सब प्रतिनिधि कार्यकार्यकी तमिति में तम्मलित दरना अनिवार्य होगा ।
- ६ प्रदेश के छेत्र आवोजनों, नांत्रहतिव आवोजनों, विहान भेत्रा हा आवोजन आदि में नहावोग सवं सार्थक शुभिता प्रदान होगी ।
७. अकालीय शिक्षण तंदाजों टारा प्रवेश होनी चाहिए इसी दृष्टिकोण द्वारा निर्दित शुल्य यथा-तम्य प्रकाशित किए जाएगे । शिक्षण शुल्य होने में दालडों दा झोलव नहीं लिया जायेगा ।
८. छात्र-छात्राजों जो शास्त्रों में लगने दाले शुल्य दाले लेखन ताक्षणी छवि धाजार हे क्रूप ज्ञाने दी दुविधा रहेगी । जिती दुकान विक्रेता हे क्रूप दरने दी दाखला नहीं रहेगी ।
९. शिक्षण तंदाजों में भावनीय उच्चतम व्यापार टारा किए जाए निर्देशों हे अनुसार क्रियाशील अग्नि इन दंतों दी आशय वा हे ठदकाया होना तथा इन तंदंध में भारत भरवार टारा ईश्वरि तंदाजों के तंदंध में नम्ब-हम्ब पर जारी छिये जाने दाले निर्देशों जा दालन तंदाजों जो दरना होगा ।
१०. तंद्या के छात्रों जो उन्हें निराकार हे क्रियात्य तब जाने सवं शामिल निराकार तब भेजने के लिये परिवहन विभाग टारा दी गई अनुमति प्राप्त सवं वैध दावनों बा ही उपदोग लिया जायेगा । छात्रों दी टुरटा ही दृष्टि हे ज्वलनशील ताएन ज्वे घरेहु सह. दी. आदि हे तंयात्तित नहीं लिया जायेगा ।

11. निःशक्त छात्रों के लिये संस्था को रेम्प फी व्यवस्था बनाए आवश्यक होगा। कोई भी संस्था निःशक्त छात्रों को प्रैक्सिस देने से इनकार नहीं छलेगी। इस संर्वेष में प्राप्त शिक्षावत ददि तिथि दाई गई तो संस्था का उन्नासत्त प्रधाप-पक्ष उमाप्त बत्तें फी नार्थकाही जा सकेगी।
12. संस्था के इत्तमालय में जाति रंग एवं धर्म के आधार पर ऐद-भाव तथा नाम्भदापिका जो वटावा देने वाले हिन्दू पुत्रादों वा लंगादप नहीं बिंदा जाएंगा और भारत तरङ्गार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रतिरक्षित पुत्रादें भी नहीं रखी जा सकेगी।

मध्य प्रदेश के राज्यदाल के नाम से
तथा आदेशानुबार


३०.६.०८

१०६३० घगारे

अमर तरिका

२६. शासन, रक्षा शिक्षा विभाग

मोदाल, दिनांक ३०.६.२००८

२००८-सं-७३- २२ /२००८/२०-३

इतिरिपु:-

1. आद्यक्त, लोड विभाग संचालनालय, २६. शोपाल।
 2. बिला विधा अधिकारी, बिला न्यौजान अ. झग - - - -
 3. प्रायार्द, आद्यक्त विधायक सभा आडकेल झुल्ल - - -
जर्जिपास शोड़ शोड़ीपुरा- गोंधीनगर न्यौजान - - -
 4. आर्डर दुः।
- नी ओर नूतनार्थ रवं आवश्यक नार्थकाही हेतु अमोखित।

अमर तरिका

२६. शासन, रक्षा शिक्षा विभाग